भाजपा सरकार की जन-विरोधी, कॉर्पोरेट परस्त, साम्प्रदायिक नीतियों के खिलाफ

मजदूर- किसान अधिकार महाधिवे'ान

मजदूरों और किसानों के अधिकारों पर अखिल भारतीय कन्वेंशन

5 सितंबर 2022, तालकटोरा स्टेडियम, नई दिल्ली

घोशणा

5 सितंबर 2018 को आयोजित, ऐतिहासिक *मजदूर किसान संघर्ष रैली* की चौथी वर्षगाँठ के मौके पर सेन्टर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियन्स (सी.आई.टी.यू.), ऑल इण्डिया किसान सभा (ए.आई.के.एस.) और ऑल इण्डिया एग्रीकल्चर वर्कर्स यूनियन (ए.आई.ए.डब्ल्यू.यू.) के आह्वान पर हम भारत के मजदूर, किसान और खेत मजदूर इस राष्ट्रीय कन्वेंशन में एकत्रित हुए हैं और अपनी मेहनत से हमारे देश की धन–सम्पत्ति का उत्पादन करने वाले मजदूरों, किसानों और खेत मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए अपने एकजुट संघर्ष को जारी रखने के दृढ़ संकल्प की घोषणा करते हैं।

आजादी के 75 वर्ष पूरा करने वाले देश की सारी मेहनतकश जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए, हम अपनी पिछली पीढ़ियों, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, उनके द्वारा देखे गए सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। उनका सपना एक ऐसा भारत जो भूख, गरीबी, बेरोजगारी और निरक्षरता से मुक्त हो, और जो एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, समाजवादी गणराज्य हो तथा, जिसमें हमारी सारी जनता को हमारे संविधान में निहित मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धान्तों का पूरा लाभ मिल सके।

हम गहरी पीड़ा के साथ यह देख रहे हैं कि आरएसएस द्वारा नियंत्रित वर्तमान मोदीनीत भाजपा सरकार, पिछले 75 वर्षों के दौरान हमने जो कुछ भी, अपनी कड़ी मेहनत से एक–एक ईंट जोड़कर निर्माण किया है और जो कुछ भी हमने अपने संघर्षों और बलिदानों के माध्यम से हासिल किया है, उन सभी को बर्बाद कर रही है। यह न केवल भारत को ब्रिटिश उपनिवेशवाद बल्कि वर्ग, जाति, पंथ, धर्म और लिंग के आधार पर सभी तरह के उत्पीड़न और भेदभाव से मुक्त कराते हुए एक ऐसा राष्ट्र, जहाँ इसकी जनता स्वतंत्रता और गरिमा के साथ जीवनयापन कर सकती है के हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा देखे गए सपनों को रौंद रही है। पिछले 8 साल के शासन काल में इस सरकार का असली रवैया 'आजादी के अमृत महोत्सव' के तमाम शोर–शराबे को खोखला बना देता है।

हमारी अर्थव्यवस्था और कड़ी मेहनत से हासिल की गई खाद्य सुरक्षा और विनिर्माण क्षमताओं, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था, हमारे संवैधानिक अधिकार, संसदीय मानदंड और प्रथाऐं सभी गंभीर हमलों की जद में हैं।

अर्थव्यवस्था और जनता कोविड–19 के आने से पहले से ही संकटग्रस्त थी। महामारी को संभालने में मोदी सरकार के तरीकों ने दोनों के हालात और भी ज्यादा बदतर बना दिए। पिछले 8 वर्षों में एक लाख से अधिक किसानों ने आत्महत्याऐं की। दैनिक भोगियों की आत्महत्याओं में वृद्धि, जो 2019 में 32,000 से 2020 में 38,000 और 2021 में 42,000 से अधिक रही है, समूचे संकट की यह सबसे खराब अभिव्यक्ति है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार, 2021 में कुल

1,64,033 आत्महत्याओं में से हर चौथी दिहाड़ी मजदूर की थी। कृषि संकट और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी और शहरी केन्द्रों में अनिश्चित काम और कम आमदनी ही ऐसी खतरनाक स्थिति पैदा कर रही है।

कीमतें बढ़ रही हैं, वेतन घट रहे हैं। शुद्ध मूल्यवर्धन में वेतन की हिस्सेदारी घटकर सबसे निचले स्तर पर पहुँच गयी है। किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। छोटे और मध्यम दर्जे के किसानों के लिए खेती करना अनुपयोगी होता जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य काफी कम हो गया है। शहरी क्षेत्रों में भी कोई अच्छा रोजगार पैदा नहीं हो रहा है। बेरोजगारी और नौकरियों का नुकसान कई गुनी दर से बढ़ती जा रही है। कामकाजी हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा अभूतपूर्व स्तर पर पहुँच गई है।

आवश्यक वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। मोदी सरकार की भेदभावपूर्ण कर निर्धारण और अन्य नीतियों को मूल्यवृद्धि और सिर्फ बड़े कॉरपोरेट एवं व्यापारिक घरानों तथा व्यापारियों को लाभ पहुँचाने के लिए ही बनाया गया है। वर्तमान कर निर्धारण व्यवस्था से पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और अन्य ईंधन की कीमतों में लगभग दैनिक आधार पर वृद्धि की गई है, जिसका असर अन्य सभी वस्तुओं, सार्वजनिक परिवहन और अन्य सेवाओं की कीमतों पर व्यापक रुप से पड़ रहा है। अभी हाल ही में सभी आवश्यक वस्तुओं जैसे सीलबन्द चावल, गेहूं, दूध और दैनिक उपयोग की अन्य वस्तुओं पर जीएसटी लगाने के माध्यम से अभूतपूर्व बोझ डला है। जिन वस्तुओं पर जीएसटी बढ़ाया गया है, उनमें शमसान शुल्क, अस्पताल के कमरे, लेखन सामग्री आदि भी शामिल हैं। जनता को अपने बैंक से अपनी ही बचत की निकासी के लिए बैंक चेक पर 18 प्रतिशत जीएसटी देना पड़ रहा है। तो दूसरी ओर, विलासिता की मदों पर जीएसटी को कम कर दिया गया है।

सेन्टर फॉर मॉनिटरिंग इण्डियन इकोनॉमी (सीएमआईई) की रिपोर्ट के अनुसार, 20–24 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं में बेरोजगारी 42 फीसद है। श्रम भागीदारी की दर गिरकर अभी तक के सबसे निचले स्तर 38.8 फीसद पर आ गई है। ग्रामीण महिलाऐं सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं। उनकी कार्य भागीदारी दर ऐतिहासिक रुप से निचले स्तर 10 फीसद तक गिर गई है। लाखों सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बंद हो गए हैं, जिससे करोड़ों नौकरियों का नुकसान हुआ है। स्थायी नौकरियां खत्म हो रही हैं। अनिश्चित नौकरियां बढ़ रही हैं। मोदी शासन के तहत रोजगार में कैजुअलीकरण और ठेकेदारीकरण को कानूनी मान्यता मिल रही है।

मनरेगा के तहत जहाँ काम की माँग बढ़ी, वहीं सरकार ने इसके लिए धन आवंटन को कम कर दिया है। ज्यादातर राज्यों में किए जा चुके लगभग 1498 करोड़ रुपये के कार्यों का मेहनताना कई–कई महीनों से बकाया है। आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार 1.47 करोड़ नौकरी चाहने वालों (कुल का लगभग 20 फीसद) को काम देने से ही मना कर दिया गया।

मोदी सरकार द्वारा पारित चार श्रम संहिताऐं, आठ घंटे का काम, न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा और सबसे महत्वपूर्ण संगठित होने एवं सामूहिक सौदेबाजी के सभी अधिकारों सहित मजदूर वर्ग द्वारा अधिक लम्बे संघर्षों से हासिल किए गए सभी हितलाभों को छीनने के लिए ही हैं। हालांकि सरकार अभी तक लागू करने के लिए श्रम संहिताओं को अधिसूचित नहीं कर सकी है, लेकिन यह जल्द से जल्द ऐसा करने पर आमादा है।

देश में भूखमरी के आंकड़ें चौंकाने वाले स्तर पर पहुँच गए है। भारत 2021 के वैश्विक भूख सूचकांक में 116 देशों में 101वें स्थान पर है। लेकिन सरकार आईसीडीएस और मिड डे मील जैसी

योजनाओं पर खर्च को कम कर रही है और वह जनता के अस्तित्व के बुनियादी अधिकार को ही छीन रही है।

सभी उत्पादक परिसम्पत्तियां, देश की सम्पत्तियां जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, वित्तीय संस्थानों, खदानों, प्रतिरक्षा उत्पादन इकाइयां, प्रमुख बंदरगाहों, दूरसंचार टावरों, तेल और प्राकृतिक गैस पाइपलाइनें, रेलवे, राजमार्गों, हवाई अड्डों और एयरलाइंस, बिजली, स्टील, डाक सेवाएं आदि का अंधाधुन्ध निजीकरण के माध्यम से देशी–विदेशी बड़े निजी कॉरपोरेट्स को सौंपा जा रहा है। राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) का उद्देश्य सार्वजनिक धन से निर्मित हमारे बुनियादी ढाँचे को निजी कम्पनियों को वस्तुतः मुफ्त में ही भारी मुनाफा बनाने के लिए सौंपना है।

इससे न सिर्फ आम जनता पर बोझ बढ़ेगा बल्कि दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़ी जातियों और समाज के अन्य दबे कुचले तबकों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण के संवैधानिक अधिकार को भी छीन लिया जाएगा। अधिकांश सरकारी विभागों और प्रशासन में बड़े पैमाने पर ठेकेदारी और काम की आउटसोर्सिंग के माध्यम से, पूरी शासन प्रणाली का निजीकरण करने की योजना बनाई जा रही है। *अग्निपथ* योजना का उद्देश्य प्रतिरक्षा सेवाओं को ठेकेदारी में धकेलना और साम्प्रदायिक ताकतों के लिए एक निजी सेना को तैयार करना ही है।

साथ ही यह सरकार बड़ी इजारेदार कम्पनियों, अम्बानी, अदानी और अन्य कम्पनियों के हित में लगातार कॉरपोरेट टैक्स की दरों को घटाना, सम्पत्ति कर को समाप्त करके, शुल्कों/करों के भुगतान, ऋण चुकौती आदि पर रोक लगाने की घोषणा करके, सुविधाऐं प्रदान कर रही है। अति अमीरों ने महामारी के दौरान भी धन अर्जित किया है। हमारे देश में असमानताओं का एक विकृत रूप प्रदर्शित हो रहा है। 1 फीसद सबसे अमीरों के पास सकल घरेलू उत्पाद का 70 फीसद से अधिक है और निचले स्तर के 50 फीसद के पास 10 फीसद से भी कम है। केन्द्र सरकार ने पिछले सात वर्षों के दौरान अपने मित्र कॉरपोरेट्स के 10.72 लाख करोड़ रुपये के कर्ज को बट्टे खाते में डाल दिया है। लगातार बढ़ते वैश्विक पूँजीवादी संकट और साम्राज्यवादी युद्धों आदि की पृष्ठभूमि में स्थिति और भी ज्यादा खराब होती जा रही है।

यह कन्वेंशन हमारे देश के उन लाखों किसानों को सलाम करता है जिन्होंने कॉरपोरेट समर्थक, किसान विरोधी और जन विरोधी तीन कृषि कानूनों के खिलाफ वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी और मोदी सरकार को उन्हें निरस्त करने के लिए मजबूर किया। यह कन्वेंशन इस ऐतिहासिक संघर्ष को हमारे देश के मजदूर वर्ग द्वारा दी गई एकजुटता और पूरे दिल से समर्थन की सराहना करता है।

मोदी सरकार ने किसानों को सभी फसलों के लिए कानूनी रूप से गारंटीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी), उनसे परामर्श किए बिना बिजली संशोधन विधेयक पर आगे नहीं बढ़ने, मुकदमों को वापस लेने और अन्य मुद्दों पर अपने आश्वासनों से मुकरने पर यह कन्वेंशन कड़े शब्दों में निंदा करती है। अपने आश्वासन के विपरीत, सरकार ने बिजली के निजीकरण के लिए बिजली संशोधन विधेयक संसद में पेश कर दिया है, हालांकि दबाव के कारण इसे संसदीय स्थायी समिति के पास भेजना पड़ा है।

कृषि कानून, श्रम संहिताऐं, बिजली कानून, निजीकरण की सनक आदि सभी नवउदारवादी नीतियों का हिस्सा हैं, जिसके लिए मोदी सरकार पूरी तरह से अमादा है। देशी–विदेशी बड़ी कॉरपोरेट और इजारेदार कम्पनियों की मुनाफाखोरी के लिए इन नीतियों के अपने आक्रामक प्रयास में, मोदी सरकार इन नीतियों के हर विरोध का निर्मम दमन कर रही है।

मौलिक और बुनियादी मानवीय और लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला किया जा रहा है। संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है। संसदीय मानदंडों और प्रथाओं की अनदेखी करते हुए कानून पारित किए जा रहे हैं। वास्तविक तथ्यों को उजागर करने वाले पत्रकारों, बुद्धिजीवियों, मानव और सामाजिक अधिकार कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और बिना जमानत के जेल में डाल दिया जा रहा है। असहमति को 'कुचलने' की कोशिश की जाती है। बहुसंख्यक साम्प्रदायिक ताकतें जनता के पोशाक पहनने, भोजन की आदतों, दोस्त और जीवन साथी चुनने आदि पहलुओं को भी नियंत्रित करना चाहती हैं। इसके कारण अल्पसंख्यक कट्टरवाद में वृद्धि हो रही है। साम्प्रदायिकता के ये दोनों रंग वर्गीय एकता को भंग करने और जनता के जीवन और सामाजिक सद्भाव पर विनाशकारी प्रभाव डालने के लिए प्रचारित किए जा रहे हैं।

यह कन्वेंशन हमारे देश की मेहनतकश जनता और समाज के सभी प्रगतिशील वर्गों को आज सत्ताधारी वर्गों और उनके प्रतिनिधि, जो फासीवादी आरएसएस द्वारा निर्देशित भाजपा की इन चालों का शिकार होने के खिलाफ चेतावनी देती है।

यह कन्वेंशन उन मजदूरों, किसानों और खेत मजदूरों और जनता के अन्य तबकों को बधाई देता है, जिन्होंने अपने स्वतंत्र और संयुक्त मंचों से इन विनाशकारी नवउदारवादी नीतियों का विरोध करने और लड़ने में बेमिसाल साहस का प्रदर्शन किया है। संयुक्त किसान मोर्चा (एस.के.एम.) के बैनर तले ऐतिहासिक किसान संघर्ष, 26 नवंबर 2020 को देशव्यापी आम हड़ताल और फिर संयुक्त ट्रेड यूनियन मंच के बैनर तले 28–29 मार्च 2022 को देशव्यापी आम हड़ताल, कोयला, बंदरगाह और गोदी कर्मियों के विभिन्न क्षेत्रीय संघर्ष, प्रतिरक्षा, बैंक, बीमा, डाक, दूरसंचार, बिजली, परिवहन, योजना कर्मियों और मजदूरों के अन्य तबकों और मजदूरी, मूल्य, भूमि, मनरेगा कार्य, सरकारी खरीद, आदि के मुद्दों पर विभिन्न राज्यों में किसानों और खेत मजदूरों के संघर्ष दिखते हैं। अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए हमारी जनता का दृढ़ संकल्प है।

केवल मजदूर, किसान और खेत मजदूर ही नहीं; युवा, छात्र, महिलाएं और कई अन्य तबके आज रोजगार, भोजन के अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा और हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र के लिए लड़ रहे हैं। ये सभी संघर्ष देश की आजादी के लिए लड़ने वाले हमारे पूर्वजों के सपनों को पूरा करने के लिए और एक स्वतंत्र भारत के अपने सपने को साकार करने के लिए साम्राज्यवाद विरोधी, कॉरपोरेट विरोधी संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए हमारी एकजुट संघर्षों की क्षमता को दिखाते हैं।

यह कन्वेंशन इस बात पर जोर देता है कि आज का संघर्ष केवल हमारी आजीविका और रहन–सहन एवं कामकाजी हालातों में सुधार करने की तात्कालिक माँगों के लिए ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को बचाने, समाज के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक चरित्र को, इस साम्प्रदायिक और सत्तावादी भाजापा–आरएसएस के शासन से बचाना भी है। यह हमारे संविधान को तथाकथित हिंदू रक्षक 'हिंदुत्ववादी' ताकतों के हमले से बचाने के लिए है। जैसा कि सावरकर, जिन्होंने सबसे पहले 'हिंदुत्व' शब्द का इस्तेमाल किया था, ने खुद ही समझाया था कि यह एक राजनीतिक निर्माण है और इसका धर्म से कोई लेना–देना नहीं है। ये आरएसएस और हिंदू महासभा जैसी साम्प्रदायिक ताकतें ही थीं जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने से इनकार कर दिया, और *मुस्लिम लीग के साथ* धर्म के आधार पर दो राष्ट्र के सिद्धांत को उठाते हुए ब्रिटिश उपनिवेशवादियों की 'फूट डालो और राज करो' की नीति को बढ़ावा दिया। आज का संघर्ष राष्ट्र को बचाने और जनता को इन जन–विरोधी और राष्ट्र–विरोधी नीतियों और ताकतों से बचाने का है।

इसलिए, यह कन्वेंशन देश भर के मजदूरों, किसानों और खेत मजदूरों को निम्नलिखित माँगों पर एकजुट संघर्ष करने का आह्वान करता है। और भाजपा–आरएसएस के नव–उदारवादी, साम्प्रदायिक और सत्तावादी शासन को परास्त करने अथक प्रयास करने का भी आह्वान करता है।

माँगें :–

- सभी कामगारों को न्यूनतम वेतन रु० 26,000/– और पेंशन रु० 10,000 सुनिश्चित करो; काम का कोई ठेकेदारीकरण नहीं हो; अग्निपथ योजना रद्द करो।
- सभी कृषि उत्पादों की कानूनी रूप से गारंटीकृत सी2+50 प्रतिशत की दर से एमएसपी के साथ खरीद सुनिश्चित करो।
- केन्द्र सरकार सभी गरीब एवं मध्यम दर्जे के किसानों और खेत मजदूरों को एकमुश्त ऋण माफी; 60 वर्ष से ऊपर के सभी को पेंशन दो।
- चार श्रम संहिताओं को समाप्त करो और विद्युत संशोधन विधेयक 2022 को वापस लो।
- नौकरी की सुरक्षा और सभी के लिए गारंटी; शहरी क्षेत्रों में भी मनरेगा के काम का विस्तार करो और न्यूनतम वेतन रु० 600/– प्रति दिन के साथ कार्यदिवस बढ़ाकर 200 करो और सारे लंबित वेतनों का भुगतान करो। और राष्ट्रीय शहरी रोजगार गारंटी कानून बनाओ।
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सार्वजनिक सेवाओं का निजीकरण बंद करो; और राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइप लाईन (एनएमपी) को समाप्त करो।
- महंगाई पर रोक लगाओ, खाद्य पदार्थों और आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी वापस लो; पेट्रोल/डीजल/मिट्टी के तेल/खाना पकाने की गैस पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में भारी कटौती करो।
- राशन प्रणाली (पीडीएस) को मजबूत और सार्वभौमिक बनाओ और 14 आवश्यक वस्तुओं को शामिल करने के लिए इसके दायरे का विस्तार करो; सभी गैर करदाता परिवारों को भोजन और आय सहायता सुनिश्चित करो।
- वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) का सख्त कार्यान्वयन हो; वन (संरक्षण) अधिनियम और नियमों में संशोधन को वापस लें, जिसमें केन्द्र सरकार को यह अधिकार मिलता है कि निवासियों को सूचित किए बिना जंगल की भूमिअधिग्रहण कर सकती है।
- पिछड़े तबकों का दमन बंद करो और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करो।
- सभी नागरिकों के लिए सार्वभौमिक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य और शिक्षा सुनिश्चित करो; और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 को वापस लो।
- सभी नागरिकों के लिए आवास सुनिश्चित करो।
- अति अमीरों पर टैक्स लगाओ; कॉरपोरेट करों में वृद्धि करो; और सम्पत्ति कर को लागू करो।

कार्यवाही का कार्यक्रम

इन माँगों को देश भर के मजदूरों, किसानों और खेत मजदूरों तक ले जाने के लिए, यह कन्वेंशन तीनों संगठनों की सभी इकाइयों से, निम्नतम स्तर तक, एक गहन और व्यापक अभियान चलाने का आह्वान करता है :

- अक्टूबर 2022 के अंत तक अभियान की योजना बनाने के लिए तीनों संगठनों के राज्य स्तरीय पदाधिकारियों की संयुक्त बैठकों का आयोजन
- नवंबर–दिसंबर 2022 के अंत तक तीनों संगठनों के पदाधिकारियों की जिला स्तरीय संयुक्त बैठकें
- जनवरी 2023 में राज्य स्तरीय संयुक्त सम्मेलनों का आयोजन
- अगले चार महीनों के दौरान स्थानीय माँगों सहित मुद्दों और उक्त माँगों पर पर्चे वितरण, पोस्टर, दीवार लेखन, सामूहिक बैठकें, जत्थे, जुलूस आदि के माध्यम से व्यापक अभियान, राज्य और जिला संयुक्त बैठकों में योजना के अनुसार जिन तक नहीं पहुँचे उन तक पहुँचने का लक्ष्य बनाना
- फरवरी 2023 में जिला/स्थानीय स्तर के कन्वेंशन का आयोजन।
- इन जत्थों द्वारा इस कन्वेंशन के संदेश को देश के कोने–कोने तक पहुँचाना।
- 2023 में संसद के बजट सत्र के दौरान व्यापक *'मजदूर किसान संघर्ष रैली–2'* का आयोजन

यह सम्मेलन हमारे देश के सभी प्रगतिशील, लोकतांत्रिक और देशभक्त लोगों का, देश बचाओ और जनता को बचाओ के इस देशव्यापी अभियान एवं कार्यक्रमों को समर्थन और एकजुटता देने का भी आह्वान करता है।